

व्यायालय व्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाडा (राजस्थान)
पीतारीन अधिकारी - नरेश कुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाडा

प्रकरण संख्या : 41/2022

रजिस्ट्रेशन नं. :2022/52

अभिगुत :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाडा (राज)

श्री बाहुबल पुत्र श्रीपाल जी मैसर्स दोसी
श्रीपाल हीरालाल जैन, पुराना बस स्टैण्ड,
परतापुर, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10-10-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 12-09-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 21-04-2022 को 12.00 पी.एम. बजे बाहैरियात खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जांच हेतु मैसर्स दोसी श्रीपाल हीरालाल जैन, पुराना बस स्टैण्ड, परतापुर, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री बाहुबल पुत्र श्रीपाल जी उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Inter Esterified Vag.Fat (Brand- Shreeji)** के 40 मूल टीन एक - एक लीटर के आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें गिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Inter Esterified Vag.Fat (Brand- Shreeji)** के चार मूल टीन वास्ते नमुना जांच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1200 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जांच हेतु खरीदशुदा **Inter Esterified Vag.Fat (Brand- Shreeji)** के चार मूल टीन को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा

दिनांक एफ.एस.एस.ए/2022/184-185 दिनांक 19-05-2022 एवं विश्लेषक,



(Handwritten signature)




जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 506 दिनांक 05-05-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Inter Esterified Vag.Fat (Brand- Shreeji)** का नमूना Substandard Food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सबस्टेण्डर्ड Inter Esterified Vag.Fat (Brand-Shreeji)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12-09-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 10.10.2022 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तग को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/184-185 दिनांक 19-05-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 506 दिनांक 05-05-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Inter Esterified Vag.Fat (Brand- Shreeji)** का नमूना Substandard Food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सबस्टेण्डर्ड Inter Esterified Vag.Fat (Brand-Shreeji)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निरस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाये गए **Inter Esterified Vag.Fat (Brand-Shreeji)** को विक्रय करके विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की




(Handwritten signature)



उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री बाहुबल पुत्र श्रीपाल जी मैसर्स दोसी श्रीपाल हीरालाल जैन, पुराना बस स्टैण्ड, परतापुर, बॉसवाडा रूपये 20,000/- (अक्षरे रु बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश भुक्तकर)
न्यायाधीश (अतिरिक्त)
(अतिरिक्त) जिला कलेक्टर
बॉसवाडा (राज.)
बॉसवाडा